मानसिक अयोग्यता से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकार

- मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को गरिमा का जन्मसिद्ध अधिकार है।
- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अध्याय-4 में लागू प्रावधानों के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को सरकारी मनोचिकित्सा अस्पतालों में मुफ्त उपचार की सुविधा उपलब्ध है।
- मानसिक रोगियों या उनके रिश्तेदार मित्र के समूचित सहमति या इनके सहमति के अनुपस्थिति में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के अध्याय-5 के भाग-2 के तहत् न्यायालय की संतुष्टि सुनिश्चित कर ऐसे व्यक्तियों को मनोचिकित्सालय में चिकित्सा हेतु भर्त्ती करवाया जा सकता है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "शीला बरसे बनाम भारत सरकार एवं अन्य" मामले में यह आदेश दिया है कि "गैर-अपराधी" मानसिक बीमार व्यक्तियों को कारागारों में कैद करना असंवैधानिक है।
- मानसिक बीमार व्यक्ति जो कारागार में बंद है वह सभी प्रकार की कानूनी सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकार से प्राप्त कर सकते हैं।
- इसके लिए उनके अभिभावक या संरक्षक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में पत्र लिख सकते हैं।
- आपके जिले में मानसिक मरीजों को कानूनी सहायता के लिए अर्द्ध-विधिक स्वयं सेवकों एवं पैनल अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराया गया है।
- किसी भी पुलिस थाना के प्रभारी अधिकारी अपने थाने की सीमा के भीतर किसी भी लावारिश या खतरनाक मानसिक बीमार व्यक्ति को न्यायिक दण्डाधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि उन्हें उचित अस्पताल में ईलाज हेतु भेजा जा सके।
- मानसिक रूप से बीमार के साथ किसी के द्वारा (रिश्तेदार, संरक्षक या अन्य व्यक्ति) बुरा व्यवहार या उपेक्षा करने पर उसे दण्डित करने का प्रावधान है।
- विधिक सेवा संस्थाऐं मानसिक रोगियों को उनके विरासत के अधिकार, संपत्ति रखने एवं आर्थिक अधिकारों का आनन्द लेने को सुरक्षित करने में सहयोग करेंगी।
- मानसिक अशक्तता से ग्रस्त लोग भी अन्य लोगों की तरह चल एवं अचल सम्पत्ति की विरासत का अधिकार रखते हैं।

Printed at : Satya Prints, Patna-3, # 9334244396

मानसिक अस्वस्थता

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

विधिक सहायता संवैधानिक अधिकार है।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने, पटना-800 001
फोन : 0612-2230943 फैक्स : 0612-2201390
ई-मेल : bslsa_87@yahoo.co.in
वेबसाईट : bslsa.bih.nic.in
टॉल फ्री नं० : 15100

मानसिक अस्वस्थता

- मानसिकता रोग, मनोरोग या मानसिक बीमारी किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की वह स्थिति है, जिसे किसी स्वस्थ व्यक्ति से तुलना करने पर "सामान्य" नहीं कहा जा सकता है और उसे चिकित्सा की आवश्यकता है।
- असामान्य और अनुचित व्यवहार को मनोविकार कहते है।
- मनोरोग दिमाग के रासायनिक असंतुलन की वजह से पैदा होते हैं तथा इनके उपचार के लिए मनोरोग चिकित्सा की जरूरत होती है।
- यह किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति (बच्चे, बुढ़े, जवान, औरत) को हो सकता है।

लक्षण :

- मन उदास रहना, आत्मविश्वास की कमी, सशंकित रहना, चिंतित रहना, आत्महत्या का विचार आना।
- घुटन महसूस करना, अकेले में बुदबुदाना, अकारण भय होना, अकेले में भी आवाज सुनाई देना।
- याददाश्त की कमी, सिर का भारी रहना, कम नींद आना, नकारात्मक सोच।
- बार-बार गुस्सा करना, बड़ी बातें करना, मार पीट करना।
- किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करना, आपसी संबंधों में तनाव।
- बच्चों का आवश्यकता से अधिक चंचल होना, मंदबुद्धि, पढ़ाई में गिरावट, सेक्स संबंधी समस्यायें।

मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित रखने हेतु सुझाव

- संतुलित नींद, नकारात्मक सोच से दूरी रखना, श्रम एवं आराम के बीच संतुलन बनाना।
- संतुलित भोजन एवं व्यायाम करना, योग, ध्यान, प्रार्थना करना, विचार में लचीलापन।
- मनोरंजन, गीत-संगीत में दिलचस्पी लेना।
- नशीले पदार्थों के सेवन से परहेज, प्रसन्नता पूर्वक रहना, भविष्य या भूत के बारे में नहीं सोचना।
- कठिन परिस्थितियों में परिवार या मित्रों से सलाह एवं सहयोग लेना।

नालसा (मानसिक रुप से बीमार और मानसिक रुप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएँ) योजना-2015

क्या आप जानते है :

- इस दुनिया में चार में से एक व्यक्ति कभी-न-कभी अपने जीवन में मानसिक बीमारी से ग्रसित होते है।
- इस दुनिया में लगभग 10 से 20 प्रतिशत बच्चे और किशोर मानसिक बीमारी के शिकार हैं।
- मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या उनके संरक्षक, कानूनी सहायता के लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क कर सकते हैं।
- मानसिक व्यक्तियों की सहायता के लिए अर्द्ध-विधिक स्वयं सेवकों एवं पैनल अधिवक्ताओं की सेवायें मुफ्त उपलब्ध हैं।

भ्रांतियाँ/गलत धारणा

- मानसिक रोग बुरी आत्माओं का प्रभाव है। मानसिक रोग असाध्य है।
- ईलाज के रूप में सिर्फ नींद की गोली दी जाती है।
- मानसिक रोगियों को परिवार में सम्पत्ति का अधिकार नहीं है।

सत्य :

- मानसिक रोग शारीरिक रोगों की तरह अस्वस्थता की एक स्थिति है।
- अधिकांश मानसिक रोग उचित दवाई एवं उचित देख-भाल से साध्य है।
- मानसिक रोगियों को परिवार के अन्य लोगों की तरह ही सम्पत्ति में बराबर का हक है।

मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकार

- भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 12 के अनुसार मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के द्वारा किया गया संविदा (करार) विधि सम्मत नहीं है क्योंकि ऐसे व्यक्ति संविदा करने में सक्षम नहीं हैं।
- मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति सभी मानवीय अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के हकदार हैं।